



Reg.No.:756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

(एमएसएमई की सशक्त आवाज)



पाक्षिक-वर्ष: 15

अंक: 21

भोपाल दि.-10.11.2018

(परिपत्र क्र. 59-60)

परिपत्र क्रमांक : 59

ईज ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट बिजनेस पर कार्यशाला

दिनांक 26.10.2018, रतलाम



मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन भोपाल, संभागीय उद्योग संघ रतलाम, फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन(FIEO) इन्दौर, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन(ECGC) भारत सरकार, इन्दौर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली तथा एयू स्माल फाइनेन्स बैंक जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 26.10.2018 को रतलाम में "Ease of Doing Export Business" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आयात-निर्यात से संबंधित विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारीयों उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को प्रदान की गयी।

स्पाईसेस बोर्ड के निदेशक श्री दीपक जोली जार्ज ने बताया कि रतलाम में विभिन्न मसालों जैसे धनिया, मेथी, लहसुन, प्याज का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। 70 प्रतिशत मसाला मालवा क्षेत्र से एक्सपोर्ट होता है। यहाँ के व्यापारी और उद्योगपति इसका निर्यात करें, इसमें बड़ी संभावनाएँ हैं। फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के निदेशक श्री राजेश भाटिया ने भारत सरकार द्वारा आयात और निर्यात के लिये दिये जाने वाले सहयोग की विस्तार से जानकारी प्रदान की। ईसीजीसी के शाखा प्रबंध श्री अनिल तिवारी ने बताया कि यदि आप माल निर्यात कर रहे हैं तो आपके पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी ECGC ले सकता है। आप जिस देश में माल भेज रहे हैं, जिस बैंक के माध्यम से पैसा भेज रहे हैं, उसके पास विदेशी मुद्रा की दिक्कत है या ट्रान्सपोर्ट में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसकी गारंटी ली जाती है, वहीं बीमा भी किया जाता है। एयू बैंक के शाखा प्रबंध श्री प्रशांत मुदगल ने एयू बैंक की योजनाओं की जानकारी प्रदान की। एफओएसटीओसी के श्री रामनाथ सूर्यवंशी ने स्थानीय उत्पादों पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की संभावनाओं की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल एवं संभागीय उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री संदीप व्यास ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन श्री वीरेन्द्र कुमार पोरवाल, सचिव, एमपीएसएसआईओ ने द्वारा किया गया।

Ref: MPSSIO/125/2018-19/

:सम्पादक मण्डल:

विपिन कुमार जैन, कैलाश अग्रवाल, अजय नाहर एवं सुनील कुमार गोठी

M.P. Small Scale Industries Organization

E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (MP)

परिपत्र क्रमांक : 60

कार्यकारिणी समिति 2017-19 की 6वीं स्थगित बैठक दिनांक 31.10.2018 के मुख्य निष्कर्ष/निर्णय

मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन की कार्यकारिणी समिति की छठवीं स्थगित बैठक बुधवार दि. 31.10.2018 को दोहपार 12.00 बजे से होटल के-इन्टरनेशनल, भोपाल में आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

सर्व प्रथम श्री कैलाश अग्रवाल, अध्यक्ष, एमपीएसएसआईओ ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए बिन्दुवार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की।

1) कार्यकारिणी समिति की गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं अनुमोदन:-

श्री कैलाश अग्रवाल, अध्यक्ष, एमपीएसएसआईओ ने समिति को बताया कि गत बैठक दि. 27.06.2018 का कार्यवाही विवरण समिति के सभी पदाधिकारियों/सदस्यों को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही 'उद्यम प्रेरणा' के अंक क्रमांक 15 दिनांक 10.08.2018 में बैठक के मुख्य निर्णय/निष्कर्ष को प्रकाशित किया गया है और इस बैठक के एजेण्डा के साथ भी संलग्न है। अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने गत बैठक के कार्यवाही विवरण के निम्नलिखित तीन बिन्दुओं (1) बिन्दु क्रमांक 9.6- कार्यालय हेतु भवन बनाने एवं खरीदने पर विचार (2) बिन्दु क्रमांक-9.13 आर्गेनाइजेशन के चुनाव में नामांकन शुल्क में वृद्धि तथा (3) बिन्दु क्रमांक-9.23 जिन जिलों में 50 से अधिक सदस्य हैं, वहाँ पूर्ण बॉडी बनाये जाने बावत पर समिति का ध्यान आकृष्ट किया तथा निम्न संशोधन प्रस्तावित किया, जिसे समिति ने स्वीकार कर अपनी सहमति प्रदान की।

क्र. गत बैठक के कार्यवाही विवरण का बिन्दु क्रमांक

संशोधन

- | | | |
|----|------|--|
| 1. | 9.6 | कार्यालय हेतु भवन बनाने एवं खरीदने हेतु गठित समिति में श्री अजय नाहरे, उपाध्यक्ष, एमपीएसएसआईओ का नाम जोड़ा जावे। |
| 2. | 9.13 | आर्गेनाइजेशन के अगामी चुनाव में रुपये 1500/- प्रति व्यक्ति प्रति पद नामांकन शुल्क लिया जावे। |
| 3. | 9.23 | जिन जिलों में 25 या अधिक सदस्य हैं वहाँ जिला इकाई की बॉडी बनाई जावे। |

उपरोक्त संशोधन के पश्चात कार्यकारिणी समिति ने गत बैठक के विवरण को स्वीकृति प्रदान की तथा अध्यक्ष एवं महासचिव को कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया।

2) दिनांक 27.06.2018 की बैठक के पश्चात सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार एवं स्वीकृति:

श्री कैलाश अग्रवाल, अध्यक्ष, एमपीएसएसआईओ ने समिति को बताया कि गत बैठक दि. 27.06.2018 के पश्चात 40 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। समिति ने सभी आवेदकों के आवेदन पत्र को स्वीकार कर जिस माह में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उस माह की पहली तारीख से सदस्यता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। (सूची संलग्न -परिशिष्ट-अ)

3) ऐसे सदस्यों की सूची जिन्होंने सदस्यता त्यागने की इच्छा प्रगट की है या जो बंद हो गये हैं अथवा जिनकी ओर लम्बे समय से आर्गेनाइजेशन की सदस्यता शुल्क की राशि बकाया है पर विचार:-

श्री कैलाश अग्रवाल, अध्यक्ष, एमपीएसएसआईओ ने विभिन्न संभागों के 39 सदस्यों की सूची समिति के समक्ष रखी, जिनकी ओर दो वर्ष से अधिक अवधि की राशि बकाया है अथवा त्याग पत्र प्राप्त हुए हैं या जो बंद हो गये हैं एवं जिन्होंने सदस्यता जारी रखने में अनिच्छा व्यक्त की है। इस पर समिति ने विचार कर सूची के सभी 39 सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने तथा उनकी ओर बकाया राशि रुपये 33400/- बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति प्रदान की।

4) कार्यकारिणी समिति वर्ष 2019-21 के चुनाव हेतु चुनाव अधिकारी की नियुक्ति:-

श्री कैलाश अग्रवाल अध्यक्ष म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन ने समिति को बताया कि श्री सुभाष विट्ठलदास मे. परमाली वालेस प्रा.लि., भोपाल आर्गेनाइजेशन के चुनाव अधिकारी के रूप में अपनी सेवायें पूर्व में देते रहे हैं। अतः हम आगामी चुनाव हेतु मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में उनके नाम को तथा उन्हें सहयोग प्रदान करने हेतु श्री अजय नाहर, में. इन्द्रपुरी ट्रेडिंग एण्ड मैनुफेक्चरिंग कम्पनी प्रा. लि., भोपाल तथा केप्टन व्ही.पी. सिंह, मे. वर्ल्ड वाईड सिक्यूरिटी आर्गेनाइजेशन, भोपाल के नाम को प्रस्तावित करते हैं। इस तीन सदस्यीय चुनाव समिति को सर्व सम्मति से कार्यकारिणी समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। श्री संजय जैन, संयुक्त सचिव, एमपीएसएसआईओ मण्डीदीप ग्रोथ सेन्टर ने सुझाव दिया कि चूंकि केप्टन व्ही.पी. सिंह बैटक में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए उनसे स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे। श्री सुनील कुमार गोठी, सचिव, एमपीएसएसएसआईओ ने समिति के समक्ष यह भी सुझाव रखा कि यदि उनसे स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में चुनाव समिति में शेष सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से दूसरे व्यक्ति को नामांकित कर लिया जाये। उक्त कार्यवाही हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा श्री अजय नाहर चुनाव अधिकारी एमपीएसएसएसआईओ को अधिकृत किया गया।

5) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लिये गये अन्य विषय:-

5.1 श्री कैलाश अग्रवाल, अध्यक्ष, एमपीएसएसएसआईओ ने समिति को बताया कि फिक्की नई दिल्ली का आर्गेनाइजेशन लम्बे अर्से से सदस्य है। लेकिन वर्तमान में फिक्की की सदस्यता शुल्क रु. 17000-18000 वार्षिक हो गई है। अतः समिति विचार कर निर्णय दे की फिक्की की सदस्यता आगे जारी रखी जावे या नहीं। इस पर समिति के सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात समिति ने वर्ष 2018-19 के लिये सदस्यता जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की।

5.2 जिला कार्यकारिणी के नियम, अधिकार, कर्तव्य एवं आर्थिक नियम:

उक्त के संबंध में श्री कैलाश अग्रवाल अध्यक्ष, एमपीएसएसएसआईओ ने बताया कि जिला कार्यकारिणी के गठन का निर्णय 27.06.2018 को लिया गया। इस हेतु नियम की जानकारी समिति को दी, जिस पर समिति ने काफी विचार विमर्श के पश्चात अपनी स्वीकृति प्रदान की। जिला कार्यकारिणी के नियम, अधिकार, कर्तव्य एवं आर्थिक नियम परिशिष्ट "ब" में संलग्न हैं।

5.3 संस्था संचालन सर्वाधिकार समिति का गठन:

अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने संस्था के सुचारु संचालन हेतु "संस्था संचालन सर्वाधिकार समिति" के गठन का निम्नानुसार प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा।

1. श्री कैलाश अग्रवाल, अध्यक्ष, एमपीएसएसएसआईओ
2. श्री अजय नाहर, उपाध्यक्ष, एमपीएसएसएसआईओ
3. श्री वीरेन्द्र पोरवाल, सचिव, एमपीएसएसएसआईओ
4. श्री सुनील गोठी, सचिव, एमपीएसएसएसआईओ
5. श्री सुनील भार्गव, कोषाध्यक्ष, एमपीएसएसएसआईओ

समिति के कुछ सदस्यों द्वारा उक्त समिति के अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी चाही गयी, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने प्रत्युत्तर मे बताया कि सर्वाधिकार प्राप्त समिति होने के कारण संस्था संचालन के जैसे कार्यालय संचालन, वित्तीय प्रबंधन, पत्राचार, संस्था का प्रतिनिधित्व इत्यादि इस समिति को सभी अधिकार प्राप्त होंगे। इस समिति के प्रभारी प्रमुख श्री अजय नाहर, उपाध्यक्ष, एमपीएसएसएसआईओ होंगे और समिति तत्काल अपना कार्यभार संभाल लेगी। उपस्थित सदस्यों ने उक्त समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की।

5.4 प्रदेश की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो पीपीपी मोड मे संचालित है, उनके उन्नयन बाबत:

श्री कैलाश अग्रवाल, अध्यक्ष ने जानकारी दी की श्री प्रमोद जोशी जो इण्डो-जर्मन टूल रूम के महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, वो आई.टी.आई. के उन्नयन हेतु कन्सलटेशन के लिए तैयार है। अतः जो आईएमसी के चेअरमेन उनकी सहायता लेना चाहते हैं वह अपनी संस्था के उन्नयन के लिए उनका सहयोग ले सकते हैं। जिस पर श्री वीरेन्द्र पोरवाल, सचिव एमपीएसएसएसआईओ को इन्दौर संभाग की आई.टी.आई. में उनकी सेवाएँ प्रदान कराने हेतु आईएमसी को प्रेरित करने का कार्य सौंपा गया, जिससे भविष्य मे अन्य क्षेत्रों की आईएमसी भी आवश्यकतानुसार उनकी सेवाएँ ले सकें।



5.5 श्री सर्च कुमार कौल आर्बीट्रेटर की सुविधा लेने बावत:

अध्यक्ष महोदय ने समिति को बताया कि श्री सर्च कुमार कौल, बैंक प्रकरणों का फाइनेन्स आर्बीट्रेशन करते हैं, जो सदस्य उनकी सहायता लेना चाहते हैं, उनसे सम्पर्क कर सकते हैं। सम्पर्क हेतु विवरण निम्नानुसार है।

Flat No. 7, "Anupam" Plt. No. 169, Amitesh Nagar, Scheme No. 59,

Nr. T. Choithram, A.B. Road, Indore - 452014 (MP)

Tel.: 0731-2330653 Mo.: 9826012834 email: sarchkumarkaul@gmail.com

5.6 आर्गेनाइजेशन की Website एवं Mobile App बनाने बावत:

अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने समिति को बताया कि आर्गेनाइजेशन की Website को अद्यतन करने तथा आर्गेनाइजेशन का Mobile App बनाने हेतु इन्दौर के श्री प्रशांत पटेल, M/s Creato Web IT Solution को अधिकृत किया गया है। वे आर्गेनाइजेशन की Website को अद्यतन करेंगे तथा आर्गेनाइजेशन का Mobile App भी तैयार करेंगे, जिसमें आर्गेनाइजेशन की सम्पूर्ण जानकारी के साथ-साथ अन्य निम्नलिखित नई सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इस हेतु सेवा प्रदाता से अनुबंध किया जाना है जिसमें वेबसाइट में विज्ञापन, विज्ञापन सामग्री, सदस्यों को विज्ञापन शुल्क में रियायत, विज्ञापन प्रकाशन की कार्यालय की पूर्वानुमति, विज्ञापन के बदले में आर्गेनाइजेशन को होने वाले लाभ का उल्लेख होगा।

1. नयी सदस्यता हेतु ऑन-लाइन फार्म भरना एवं फीस जमा करना।
2. सदस्यता नवीनीकरण की आन लाइन सुविधा।
3. आर्गेनाइजेशन को विभिन्न समितियों में प्राप्त प्रतिनिधित्व की जानकारी तथा सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव /प्रतिवेदन की जानकारी।
4. उद्यम प्रेरणा की जानकारी।
5. आर्गेनाइजेशन के कार्यक्रमों की जानकारी।
6. उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज।

5.7 Website में संशोधन, सुधार एवं नई जानकारी के अपलोड का अधिकार कार्यालय को होगा।

5.8 श्री अजय मिश्रा, उपाध्यक्ष, मण्डीदीप ग्रोथ सेन्टर एवं श्री संजय जैन, संयुक्त सचिव, मण्डीदीप ग्रोथ सेन्टर ने सुझाव दिया कि, आर्गेनाइजेशन की डायरेक्टरी की सॉफ्ट कॉपी देने हेतु रुपये 500/- की फीस का निर्धारण किया जावे, जिस पर समिति ने स्वीकृति प्रदान की।

5.9 एमपीएसएसआईओ की कार्यकारिणी समिति ने निर्णय दिया कि आर्गेनाइजेशन की कार्यकारिणी समिति का एक ही अधिकारिक Whatsapp Group होगा, तथा अन्य सभी ग्रुपों को बन्द किया जावे। कार्यालय सचिव ने सूचित किया कि ब्राड कास्ट की सभी 1300 प्राथमिक सदस्यों की लिस्ट बना दी गई है। ब्राड कास्ट द्वारा सभी सदस्यों को विभिन्न सूचनाएँ एवं जानकारियाँ समय-समय पर मिलती रहेगी।

5.10 कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक दिसम्बर 2018 के दूसरे एवं तीसरे सप्ताह में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

5.11 जबलपुर, रतलाम एवं नीमच में आयोजित निर्यात जागरूकता कार्यक्रमों के आय-व्यय की जानकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई, जिस पर उनके व्यय के भुगतान की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गई।

5.12 प्ले स्टोर के अलावा अन्य साफ्टवेयर से भी मोबाइल एप डाउन लोड हो सके ऐसी व्यवस्था किये जाने का सुझाव सदस्यों ने दिया, जिस पर समिति ने स्वीकृति प्रदान की।

5.13 अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति को बताया गया कि आर्गेनाइजेशन की डायरेक्टरी का प्रकाशन हो गया है। अब उपयुक्त समय एवं प्लेटफार्म में इसका विमोचन प्रस्तावित है। साथ ही प्रकाशक मे. आर्थिक बाजार मीडिया प्रा. लि. को उनका शेष भुगतान देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।



**LIST OF APPLICATION RECEIVED FOR MEMBERSHIP AFTER EXECUTIVE
COMMITTEE MEETING HELD ON 27/06/2018**

Sl. No.	Name & Place of Unit	Name of Representative	Date of Application	Category
1.	Kailash Textile Industries, Burhanpur.	Mr. Rajendra Purohit	10/07/2018	SSI
2.	Lakhotia Fabrics LLP, Burhanpur.	Mr. Jayprakash Lakhotia	10/07/2018	SSI
3.	Mangal Textiles, Burhanpur.	Mr. Vishnu Mittal	10/07/2018	SSI
4.	Sulaman Textile, Burhanpur.	Mr. Mohd. Haroun Khtri	10/07/2018	SSI
5.	Bharat Traders, Burhanpur.	Mr. Taher Arif	10/07/2018	SSI
6.	Badshah Steel, Burhanpur.	Mr. Mohd. Ali Bhtiwala	10/07/2018	SSI
7.	Textile Processing Co-op. Society, Burhanpur.	Mr. Jayantilal Navlakha President	10/07/2018	Asso.
8.	Jabalpur Engineers, Jabalpur.	Mr. Sharad Vegad	19/07/2018	SSI
9.	Phoenix Poultry, Jabalpur.	Ms. Gaura Dubey	19/07/2018	SSI
10.	Prestressed Concrete Industries, Jabalpur.	Mr. Sudhanshu Yadav	19/07/2018	SSI
11.	Dhiraj Electric Company, Jabalpur.	Mr. Dhiraj Darmani	19/07/2018	SSI
12.	Mahavir Milk Product, Jabalpur.	Mr. Virendra Singh	20/07/2018	SSI
13.	Arthik Bazar Media Pvt. Ltd., Bhopal.	Mr. P.K. Sharma	22/05/2018	SSI
14.	H.M. Shah and Company, Indore.	Mr. Rishit Desai	10/08/2018	SSI
15.	Jyoti Foods & Bakers, Sagar.	Mr. Devendra Batheja	20/08/2018	SSI
16.	A.R. Motors, Bina.	Mr. Mohd. Haneef	20/08/2018	SSI
17.	Swastik Agro Tech, Khurai.	Mr. Neeraj Choudhary	21/08/2018	SSI
18.	Udyog Sang Sagar, Sagar.	Mr. Mukesh Jain (President)	22/06/2018	Asso.
19.	Deep Jyoti Infra, Sagar.	Er. Bheeshma Jain	23/08/2018	SSI
20.	Vigya Jyoti ITI, Sagar.	Er. Sanyam Jain	23/08/2018	Institute
21.	Daryani Plastic Industries, Sagar.	Mr. Sudama Mal Daryani	23/08/2018	SSI
22.	Sewa Udyog, Damoh.	Mr. Aman Vishwakarma	24/08/2018	SSI
23.	Annapurna Pulses, Damoh.	Mr. Subodh Bajaj	24/08/2018	SSI
24.	Pragatee (India), Indore.	Mr. Amit Bansal	28/08/2018	SSI
25.	Trikuta Research Pvt.Ltd., Jabalpur.	Dr. Ramcharit Dixit	10/09/2018	SSI
26.	Deepak Card & Printers, Gwalior.	Mr. Deepak Neekhra	11/09/2018	SSI
27.	Shivang Edibles Oils Pvt. Ltd., Morena.	Mr. Gopal Garg	14/09/2018	SSI
28.	Madhyanchal Cotton Ginning & Traders Association, Badwah.	Mr. Manjeet Singh Chawla President	19/09/2018	Asso.
29.	Aran Trading Company, Bhikangaon.	Mr. Anup Agrawal	18/09/2018	SSI
30.	Maitri Infrastructures, Bhopal.	Mr. Deven Jain	25/09/2018	SSI
31.	Vardhman Infra, Seoni	Mr. Pranav Maloo	01/10/2018	SSI
32.	Sonam Collection, Jabalpur.	Mr. Shreyansh Jain	04/10/2018	SSI
33.	Sellwell Pharmaceuticals Ltd., Indore.	Mr. Kamal Karamchandani	15/10/2018	SSI
34.	Amco Herbals Pvt. Ltd., Indore.	Mr. Manoj Sinha	15/10/2018	SSI
35.	Gurjar Chemicals Pvt. Ltd., Indore.	Mr. Virendra Mandloi	15/10/2018	SSI
36.	Bio Medical Laboratories Pvt. Ltd., Indore	Mr. Lokesh Metha	15/10/2018	SSI
37.	Garima Health Care Pvt. Ltd., Indore.	Mr. Harish Gauawalli	15/10/2018	SSI
38.	Sun-Aj Pharma, Indore.	Mr. Sunil Ajmera	16/10/2018	SSI
39.	Bindra Chemicals, Indore.		16/10/2018	SSI
40.	Premium Foods, Indore.	Mr. Nitesh Chimnani	17/10/2018	SSI



म.प्र. स्माल स्केइल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन जिला इकाई

नियम, अधिकार, कर्तव्य एवं आर्थिक नियम

27.06.2018 की कार्यकारिणी समिति की बैठक में आर्गेनाइजेशन के जिला स्तर पर 25 या अधिक सदस्य होने पर आर्गेनाइजेशन की ईकाई बनाने का निर्णय कार्यकारिणी समिति ने लिया।

A. जिला इकाई में निम्न पदाधिकारी होंगे।

पदसंख्या	पदनाम
i. एक	जिला अध्यक्ष
ii. एक	जिला सचिव
iii. 3	जिला प्रतिनिधि
कुल 5 सदस्य	

- B. प्रत्येक गठित जिला इकाई का कार्यकाल 2 वर्ष रहेगा, जो कि प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल के समकालीन होगा।
- C. प्रत्येक जिला इकाई अपने संभागीय उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करेगी।
- D. प्रत्येक जिला इकाई अपनी सभी गतिविधियों की जानकारी निश्चित रूप में संभागीय उपाध्यक्ष एवं भोपाल कार्यालय को प्रत्येक माह की 30 तारीख तक आवश्यक रूप से भेजेंगे।
- E. निष्क्रिय जिला इकाई भंग करने का अधिकार प्रदेश कार्यकारिणी समिति को होगा, जिसके निर्णय को अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा।
- F. वर्तमान में 25 या अधिक सदस्यों वाले जिले के सदस्यों को जिला इकाई गठित करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिसमें 7 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी और आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष की सहमति से जिला इकाई का गठन किया जा सकेगा। तदुपरांत प्रत्येक जिले के सदस्य अपने प्रतिनिधियों का चुनाव संवैधानिक रूप से करेंगे।

जिला इकाई के कर्तव्य

- राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदाधिकारियों के निर्देशों का पालन करना।
- जिले में उद्योग से संबंधित विभागों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- उद्योग नीति की अपने-अपने जिले में उपयोगिता, लाभ, हानि की समीक्षा करना और भोपाल कार्यालय को अवगत कराना।
- जिला उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक में भागीदारी करना और उसकी जानकारी अपने संभागीय उपाध्यक्ष तथा आर्गेनाइजेशन के भोपाल कार्यालय को प्रेषित करना।
- प्रत्येक 3 माह में एक बैठक पदाधिकारियों की तथा प्रत्येक छः माह में एक बैठक सभी जिला सदस्यों की अवश्य करना जिसमें जिले की उन्नति, उद्योग सम्भावनाओं पर विचार हो।
- शासकीय विभागों से औद्योगिक समस्याओं पर चर्चा करना और उन्हें हल करने का प्रयास करना।
- सदस्यों से एमपीएसएसआईओ की निर्धारित फीस का चेक लेना और भोपाल कार्यालय को भेजना, भोपाल से 30 प्रतिशत राशि जिला इकाई खाते में वापस भेजी जाएगी जो आपके स्थानीय खर्च हेतु होगी। भोपाल में आपकी राशि जमा रहेगी।
- वर्ष में एक बड़ा कार्यक्रम स्थानीय प्रयोजक, राज्य स्तरीय प्रयोजक, स्थानीय चंदे या सदस्यों के सहयोग से आवश्यक रूप से करना।
- नए सदस्य बनाना, अच्छे उद्योगों को पुरस्कार हेतु हेड ऑफिस रिक्मंड करना।
- शासकीय योजनाओं को सदस्यों तक पहुँचाना।
- शेष क्षेत्र को जोड़ा जावे।

कैलाश अग्रवाल

अध्यक्ष,

एमपीएसएसआईओ



NEWS

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के प्रोत्साहन हेतु माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 12 बड़े फैसले

1. जीएसटी पंजीकृत इकाईओं पर हर एमएसएमई को एक करोड़ रुपये तक के नए कर्ज या इन्क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
2. निर्यातकों को प्री और पोस्ट शिपमेंट की अवधि में जो लोन मिलता है, उसकी ब्याज की दर में छूट को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जायेगा।
3. कंपनियां जिनका टर्नओवर रु. 500 करोड़ से ऊपर है उनको अब ट्रेड रेकेवबलेस इ-डिसकॉउन्टिंग सिस्टमयानि TReDS प्लेटफार्म पर लाना जरूरी कर दिया गया है। ताकि एमएसएमई को कैश फ्लो में दिक्कत न आए।
4. पिछले वर्ष में लगभग 1.14 लाख करोड़ रूपए का सामान सरकारी कंपनियों ने अलग-अलग स्रोतों से खरीदा है। अब तक जो नियम चला आ रहा था, वो ये था कि सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीदारी माइक्रो और स्माल इंटरप्राइजेज यानि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से करना जरूरी था। सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़कर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानि अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है।
5. पांचवी घोषणा महिला उद्यमियों से जुड़ी हुई। यो जो माइक्रो और स्माल इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है, उसमें ये भी तय किया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो। यानि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदे।
6. अब केन्द्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना जरूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी वेंडर्स-एमएसएमई को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी एमएसएमई को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा।
7. देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जायेगा। इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और टूल रूम जैसे 100 केन्द्र देशभर में स्थापित किए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रूपए के पैकेज की घोषणा की गई।
8. एमएसएमई सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है इन क्लस्टर पर 70 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान निर्णय किया गया।
9. 8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा।
10. सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, ह्यूमन इंटरवेन्शन को कम करने के लिए अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए अब इंसपेक्टर को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक कंप्यूटराइज्ड होगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकते।
11. एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सेल्फ सर्टिफिकेशन को बढ़ाया जायेगा।
12. स्वयं डिक्लेरेशन कर रिटर्न स्वीकृत करेगी। लेबर डिपार्टमेंट की तरह पर्यावरण के रूटीन इंसपेक्शन समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत एमएसएमई का निरीक्षण होगा।



NEWS

अधूरे ई-वे बिल पर 1 करोड़ की पेनल्टी, कार्यवाही पर हाई कोर्ट की भी मुहर

माल परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर पर वाणिज्यिक कर विभाग ने एक करोड़ रूपए से ज्यादा की पेनल्टी लगा दी है। इन्दौर, नई दुनिया प्रतिनिधि। ई-वे बिल अधूरा भरकर माल परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर को हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। प्रदेश में ई-वे बिल पर हुई सबसे बड़ी पेनल्टी की कार्रवाई और उस पर आए निर्णय से विभाग के हौसले बुलंद हैं। मई में विभाग की टीम ने पुणे से इन्दौर होकर नोएडा की ओर जा रहे ट्रक (एचआर 47 सी 2647) को पकड़ा था। ट्रक में 1 करोड़ 12 लाख 61 हजार रूपए से ज्यादा का माल था। विभाग की टीम ने पाया कि माल परिवहन कर रहे ट्रक के साथ नियमानुसार ई-वे बिल नहीं रखा गया। ट्रक ड्राइवर ने जो ई-वे बिल पेश किया, उसका सिर्फ एक हिस्सा भरा था। ऑनलाइन पोर्टल पर ई-वे बिल के पार्ट-बी की जानकारी नहीं भरी गई थी। इस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए जीएसटी के नियमों के उल्लंघन पर पहले कर की राशि 19 लाख 52 हजार के साथ इतनी ही पेनल्टी लगाने का आदेश दिया था। नोटिस के सात दिन में भी माल मालिक या ट्रांसपोर्टर के उपस्थित नहीं होने पर उसे कुल 1 करोड़ 32 लाख रूपए से ज्यादा जमा करने का आदेश दिया था। इसमें माल के बराबर की राशि की पेनल्टी के साथ ही टैक्स की राशि भी शामिल है। भारी भरकम पेनल्टी के विभागीय आदेश के खिलाफ ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। कार्यवाही को अनुचित करार देते हुए कंपनी ने तर्क दिया था कि ई-वे बिल पोर्टल में तकनीकी परेशानी के चलते वे ई-वे बिल का पार्ट-बी नहीं भर सका। ट्रांसपोर्टर ने तर्क दिया था कि मामले में कर चोरी की मंशा नहीं थी। ई-वे बिल का एक हिस्सा पूरा भरा गया था और उसमें जरूरी जानकारी भी दी गई थी। मामले में शासन की ओर से जवाब पेश कर कार्रवाई के पक्ष में जीएसटी कानून के प्रावधानों के साथ पोर्टल का पूरा ब्योरा पेश कर दिया गया।

उपमहाधिवक्ता पुष्पमित्र भार्गव के जरिए विभाग ने जवाब पेश करते हुए उस दौरान की जानकारी पेश की कि उसी तारीख हजारों ई-वे बिल ऑनलाइन जनरेट हुए। यदि ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल में तकनीकी दिक्कत आई तो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में इसकी शिकायत की जाती। वहां शिकायत के संबंध में भी ट्रांसपोर्टर कोई प्रमाण पेश कर सके। कोर्ट ने विभाग की कार्रवाई को जीएसटी के नियमों के मुताबिक सही ठहराते हुए ट्रांसपोर्टर को राहत देने से इनकार कर दिया।

कार्रवाई से कारोबारी हतोत्साहित

विभाग की कार्यवाही नियमानुसार करार दिए जाने के बाद कारोबारी घबराए हुए हैं। विभाग ने फ़ैसले को नजीर की तरह पेश करते हुए पूरे प्रदेश में प्रसारित भी कर दिया है। इधर, कर सलाहकार इतने बड़े जुर्माने को कठोर करार दे रहे हैं। तर्क दिया जा रहा है कि कर चोरी की मंशा के बगैर सिर्फ अधूरा फार्म भरने पर इतनी कठोर कार्यवाही कारोबारियों को हतोत्साहित कर रही है। कर सलाहकार आर एस गोयल के मुताबिक हम तमाम कारोबारियों को सलाह दे रहे हैं कि ई-वे बिल की जांच और गाड़ी रोकने की स्थिति में सात दिन के भीतर विभाग के सामने उपस्थित होकर औपचारिकता पूरी कर, ताकि ऐसी स्थिति न बने। गोयल के मुताबिक ई-वे बिल के पार्ट बी में सिर्फ ट्रांसपोर्टर का नाम, वाहन आदि से जुड़ी जानकारियां दर्ज होती हैं। टैक्स, माल और अन्य जरूरी लगभग 99 प्रतिशत जानकारियां तो ई-वे बिल के पार्ट-ए में ही आ जाती हैं।

न्यायसंगत है

विभाग की कार्यवाही को माननीय न्यायालय ने नियमानुसार और न्यायसंगत माना है। ई-वे बिल पर प्रदेश में अपनी तरह का यह पहला निर्णय है। कर चोरी रोकने के लिए नियमानुसार कार्यवाही लगातार जारी रहेगी— डॉ. अमन कुमार शर्मा, आयुक्त राज्य कर.
